most trusted since 2003

Address: Plot No. A-12,13, Flat No. 201, 2nd Floor, Ansal Building, Mukherjee Nagar, New Delhi, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26, 9205274741/42, 011-49274400

स्टॉकहोम समझौता : क्यों है सुर्ख़ियों में?
(Stockholm Convention : Why in News?)

मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव के मद्देनज़र, बीते 7 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध सात स्थाई कार्बनिक प्रदूषकों (POP) पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने यह कदम एक विशिष्ट नियम और विनियमन के अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन के लिहाज से उठाया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 5 मार्च, 2018 को स्थाई कार्बनिक प्रदूषक विनियमन नियम जारी किया था। इस रेटिफिकेशन से भारत वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF के वित्तीय संसाधनों का लाभ प्राप्त कर पाएगा। इस लाभ से भारत अपने राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (NIP) को अद्यतन कर सकेगा. साथ ही, इससे दुनिया को एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि हम स्वास्थ्य और पर्यावरणीय ख़तरों को बर्दाश्त नहीं करते हैं।

डीएनएस में आज हम आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे से जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी

स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है?

स्टॉकहोम कन्वेंशन कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है. इसका मकसद पर्यावरण में उपस्थित स्थाई कार्बनिक प्रदूषकों को धीरे-धीरे कम करना है। इस कन्वेंशन में 183 पार्टियाँ शामिल हैं, जिसमें से 151 देशों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने मई 2002 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर और जनवरी 2006 में इसका अनुसमर्थन किया था। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी ने 24 दिसंबर, 2019 को इसकन्वेंशन का अनुसमर्थन किया। मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान ने भी 2019 में ही इसको रैटीफ़ाइ किया था।

स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 के मुताबिक कन्वेंशन द्वारा अपनाए गए उपायों की प्रभावशीलता का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

स्टॉकहोम कन्वेंशन को 22 मई, 2001 को अपनाया गया था. इसके बाद, 50 देशों द्वारा रैटीफ़ाइ करने के बाद इसे 17 मई, 2004 को लागू कर दिया गया था। इस कन्वेंशन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थाई कार्बनिक प्रदूषकों यानी POP से बचाना है। POP में कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और उपोत्पाद शामिल होते हैं। सभी पीओपी बेहद ही खतरनाक और विषाक्त होते हैं. इनमें बायोएक्युम्युलेशन यानी जैवसंचयन और पर्यावरण में काफी लंबी दूरी तक प्रसारित होने की क्षमता होती है।

कौन-कौन से रसायन प्रतिबंधित किए गए हैं?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिन 7 रसायनों पर प्रतिबंध लगाया है अब उनका निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात करना गैरकानूनी होगा. इन रसायनों में क्लोर्डेकोन, हेक्साब्रोमोबाईफेनिल, हेक्साब्रोमोडाईफेनिल ईथर और हेप्टाब्रोमोडाईफेनिल ईथर (कमर्शियल ऑक्टा-बीडीई), टेट्राब्रोमोडाईफेनिल ईथर और पेंटाब्रोमोडाईफेनिल ईथर (वाणिज्यिक पेंटा-बीडीई), पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोसायक्लोडोडेक और हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन।

Downloaded From: www.dhyeyaias.com

Address: Plot No. A-12,13, Flat No. 201, 2nd Floor, Ansal Building, Mukherjee Nagar, New Delhi, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26, 9205274741/42, 011-49274400

स्थाई कार्बनिक प्रदूषक यानी POP क्या हैं?

POP ऐसे रसायन होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बरकरार रहते हैं और मनुष्यों और वन्यजीवों के लिए विषाक्त होते हैं. साथ ही, ये भौगोलिक रूप से काफी लंबी दूरी तक फैल जाते हैं और सजीव जीवों के वसायुक्त ऊतकों में जमा होते हैं। प्रारंभ में, 12 प्रदूषकों को POP घोषित किया गया था, इनमें एल्ड्रिन, क्लोर्डेन, डीडीटी, डाइड्रिन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, मिरेक्स, टॉक्सिफीन, पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफेनोल्स या पीसीबी, हेक्साक्लोरोबेंजीन, डाइऑक्सिन और फ़्यूरोन शामिल हैं। इन्हें "डर्टी डोज़न्स" के तौर पर भी जाना जाता है। वर्तमान में, पीओपी सूची में 28 खतरनाक रसायनों को रखा गया है।

पीओपी के प्रभाव:

पीओपी एक प्रक्रिया के जरिए सजीव जीवों के भीतर एकत्रित हो जाते हैं, इसे बायोएक्कुम्यूलेशन या फिर जैव संचयन कहा जाता है। वैसे तो POP पानी में घुलनशील नहीं होते है, लेकिन ये आसानी से वसायुक्त ऊतक में अवशोषित हो जाते हैं, जहां इनकी सांद्रता सामान्य स्तर से 70,000 गुना तक ज्यादा बढ़ सकती है। चूँकि मछली, शिकारी पक्षी, स्तनधारी और मनुष्य आदि जीव खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर होते हैं, इसलिए ये जीव ज़्यादा POP अवशोषित करते हैं। POP अवशोषित कर चुके ये जीव जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो इनके साथ यह POP भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है।

पीओपी के संपर्क में आने से कैंसर, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान, प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी बीमारियां, प्रजनन संबंधी विकार और सामान्य शिशु एवं बाल विकास बाधित हो सकता है। सदस्य देशों के बीच गहन वैज्ञानिक अनुसंधान, विचार- विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन के तमाम अनुबंधों में पीओपी रसायनों को सूचीबद्ध किया गया है।

इस वैश्विक कन्वेंशन के लिए वित्तीय व्यवस्था:

इस वैश्विक कन्वेंशन के वित्तीय व्यवस्था के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF को अंतरिम इकाई बनाया गया है। पीओपी परियोजनाओं को गति देने के लिहाज से GEF अब तक 100 से अधिक देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान कर चुका है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के जरिए विकसित और विकासशील देश भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक पीओपी मुक्त विश्व के लिए संयुक्त रुप से प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में उद्योग जगत और पर्यावरण के लिए काम कर रहे समूह भी शामिल हैं.

स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए COP की 9वीं बैठक

स्थाई कार्बनिक प्रदूषकों हेतु स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए COP की 9वीं बैठक 2019 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई थी। बैठक की थीम थी - "स्वच्छ ग्रह, स्वस्थ लोग: रसायन और अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन। इस 9वीं बैठक में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत अनुलग्नक ए में "डाइकोफ़ोल" को बिना किसी छूट के सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुलग्नक ए में कुछ छूट के साथ "PFOA" को भी सूचीबद्ध किया गया था।

Downloaded From: www.dhyeyaias.com

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS® most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

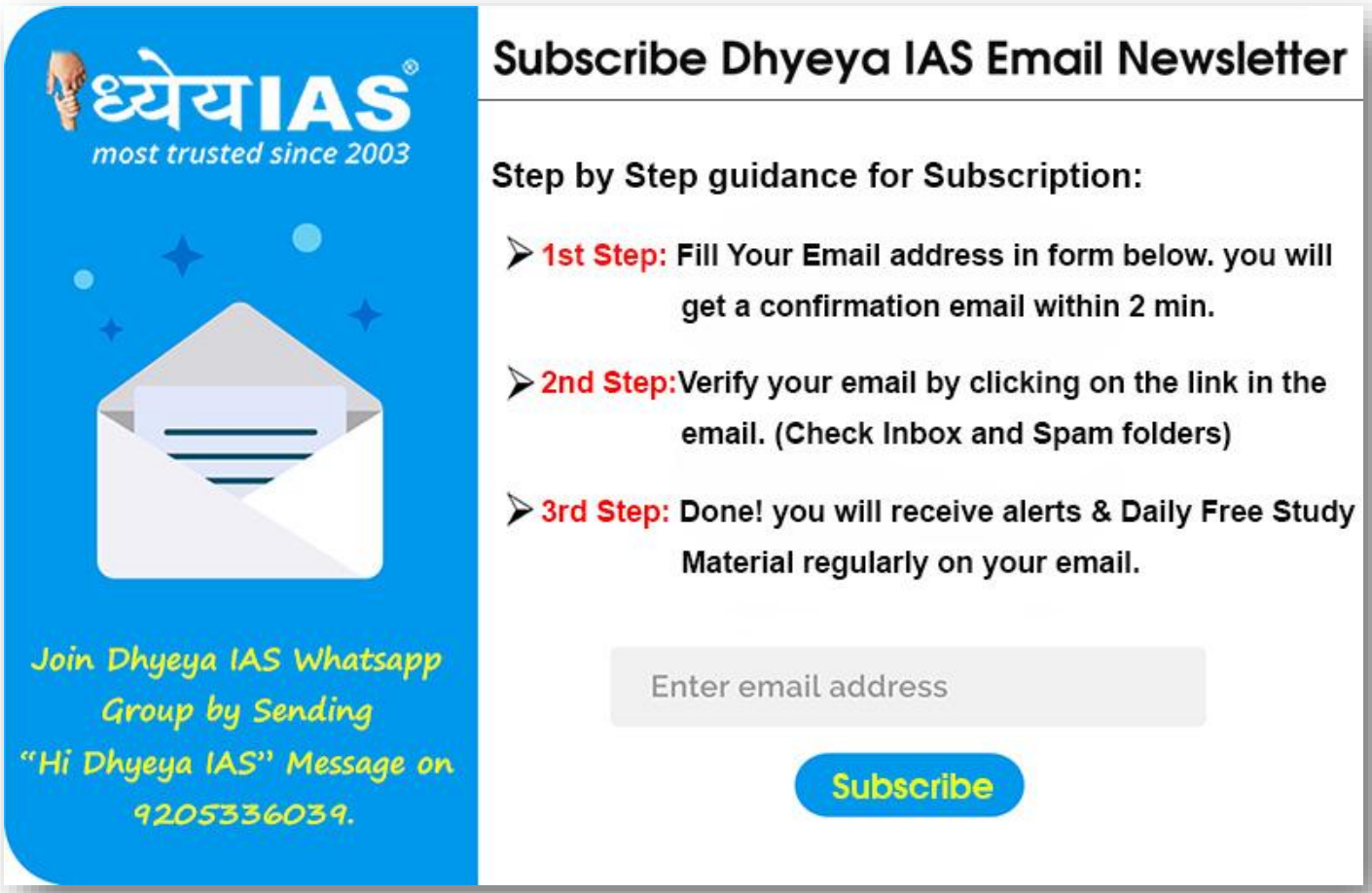

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: **9205962002**
9506256789

Whatsapp:
9205274741

Visit:
dhyeyaias.com